संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

स्रोत: द हिंदू

भारत के मुख्य विपक्षी दल ने कुछ ऐसे दावों की जाँच के लिये एक **संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC)** के गठन का आह्वान किया है जिनके आधार पर अडानी समूह ने उच्च गुणवत्ता बताते हुए तमिलनाडु में एक सरकारी कंपनी को निम्न श्रेणी का कोयला बेचा है।

- **JPC** एक तदर्थ समिति है, जो किसी **विशिष्ट विषय** या **विधेयक** की गहन जाँच करने के लिये **संसद** द्वारा स्थापित की जाती है।
  - इसमें दोनों सदनों के साथ-साथ सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के एक सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त) द्वारा की जाती है।
  - **संसद JPC** की संरचना निर्धारित करती है और सदस्यों की संख्या पर **कोई सीमा निर्धारित नहीं** है।
    - समिति को कार्यकाल या कार्य पूरा करने के बाद **भंग** कर दिया जाता है।
  - समिति की सिफारिशें **सलाहकारी** होती हैं और सरकार के लिये उनका पालन करना **अनिवार्य नहीं** है।
    - हालाँकि, प्रवर समितियों और JPC के सुझाव, जिसमें सत्तारूढ़ दल के सांसदों तथा प्रमुखों का बहुमत होता है, मुख्य तौर पर स्वीकार किये जाते हैं।
- JPC के पास **विशेषज्ञों, सार्वजनिक निकायों, संघों, व्यक्तियों या इच्छुक दलों** से उनके अनुरोधों के जवाब में **साक्ष्य एकत्रित करने** का अधिकार है।
- **ऐसे कुछ मामले जिनमें JPC का गठन किया गया उनमें शामिल हैं:**
  - बोफोर्स घोटाला (1987)
  - हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला (1992)
  - केतन पारेख शेयर बाज़ार घोटाला (2001)
  - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC, 2016)
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2019)

और पढ़ें: संसदीय समितियाँ, संसद की प्रवर समिति

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/joint-parliamentary-committee-1